



Neutral Citation No. - 2026:AHC:30483

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 811 सन् 2026

सुरेंद्र कुमार शर्मा एवं अन्यपुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्यविपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता :हितेश पचौरी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता :कमलेश कुमार द्विवेदी, प्रशांत मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता

ए.एफ.आर.

न्यायालय संख्या - 87

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद,

1. पुनरीक्षणकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री मनीष तिवारी जिनका सहयोग श्री हितेश पचौरी ने किया और विपक्षी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता, श्री के.के. द्विवेदी, जिन्होंने वकालतनामा दायर किया, को सुना गया। वकालतनामा अभिलेख पर ले लिया गया।

2. यह आपराधिक पुनरीक्षण, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 17, आगरा (राज्य बनाम जितेंद्र गोंड) द्वारा दिनांक 31.10.2025 को आक्षेपित आदेश, यह आदेश सत्र परीक्षण संख्या 2243 सन् 2023 मामला अपराध संख्या 96 सन् 2022, भा0द0सं0 की धारा 306, 498 ए, 323, थाना नई की मंडी, जिला आगरा से संबंधित है, जिसके अन्तर्गत द0प्र0सं0 की धारा 319 के अन्तर्गत आवेदन को स्वीकार कर लिया गया और पुनरीक्षणकर्ताओं को भा0द0सं0 की धारा 306 के अन्तर्गत विचारण का सामना करने के लिए तलब किया गया से व्यथित होकर दायर की गई।

3. मामले की संक्षिप्त जानकारी यह है कि सूचनाकर्ता/विपक्षी पक्षकार संख्या 2 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलिखित कराई इसमें कहा गया है कि उनकी पुत्री प्राची की शादी 29.1.2015 को सुरेंद्र कुमार शर्मा के पुत्र जितेंद्र गौर से हुई थी, जिसमें उन्होंने अपनी क्षमता से अधिक दहेज और अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सामान दिया था। आरोप है कि पति-जितेंद्र गौर और उनके पिता और सौतेली सास पुष्पलता शर्मा शादी में दिए गए दहेज से खुश नहीं थे और वे कार व 10 लाख रुपये नकद की अतिरिक्त मांग कर रहे थे और जब सूचनाकर्ता की पुत्री ने उनकी मांगें मानने से अस्वीकार कर दिया, तो ये तीनों लोग उसे पीटते थे और जब भी मृतका अपने मायके जाती थी तो वह परिवार के सदस्यों को ये सारी बातें बताती थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी आरोप है कि घटना से पहले, मृतका प्राची ने अपनी माँ को फोन पर बताया था कि उक्त लोग दहेज के लिए उसे बहुत परेशान कर रहे थे और उसके साथ मारपीट कर रहे थे। 27.8.2022 को सुबह लगभग 3:00 बजे, मृतका के ससुर सुरेंद्र कुमार शर्मा (पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1) ने सूचनाकर्ता/विपक्षी पक्षकार संख्या 2 को मोबाइल पर सूचना दी कि प्राची ने फांसी लगा ली है और इस सूचना पर, सूचनाकर्ता अपने परिवार के सदस्यों के साथ घटनास्थल पर पहुँचे और पाया कि मृतका प्राची का शव ड्राइंग रूम में फर्श पर पड़ा था और उसके शरीर पर चोट के निशान थे।

4. जितेंद्र गौर (पति), सुरेंद्र कुमार शर्मा (ससुर) और श्रीमती पुष्पलता शर्मा (सौतेली सास) के विरुद्ध 27.8.2022 को थाना में भा0द0सं0 की धारा 323, 498A, 304-बी के अन्तर्गत मामला अपराध संख्या 96 सन् 2022 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलिखित की गई। अन्वेषण के दौरान, द0प्र0सं0 की धारा 161 के अन्तर्गत साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए और सभी साक्षियों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखी बातों की पुष्टि की और नामजद सभी आरोपियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले। यद्यपि, अन्वेषण के बाद, अन्वेषण अधिकारी ने भा0द0सं0 की धारा 304-बी के अन्तर्गत लगे आरोप को हटा दिया और भा0द0सं0 की धारा 306, 498ए, 323 के अन्तर्गत अपराध के लिए अकेले आरोपी जितेंद्र गौर के विरुद्ध आरोपपत्र दायर की गई।

5. मृतका का शवपरीक्षण किया गया जिसमें मृत्यु से पहले लगी निम्नलिखित चोटें पाई गई:-

"गर्दन के ऊपरी हिस्से के चारों ओर 58 सेमी. x 1.5 सेमी. आकार का एक तिरछा फंदे का निशान था जिसमें गर्दन के दाहिने हिस्से पर 4 सेमी. का अन्तर था यह अन्तर मुंह के दाहिने कोने से 5 सेमी. दूर था।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



फंदे का निशान दाहिने कान से 3 सेमी., ठुड़ी से 4 सेमी. और बाएं कान से 6 सेमी. दूर था, नीचे कटी हुई त्वचा पर फंदे का निशान स्पष्ट था और मुंह के बाएं कोने से लार बहने का निशान भी मौजूद था।"

6. विचारण के दौरान जब तथ्यों से जुड़े सभी साक्षियों से पूछताछ हो चुकी थी, तब द0प्र0सं0 की धारा 319 के अन्तर्गत एक आवेदन दिया गया। मृतक महिला के पिता, पीडब्ल्यू-1 विनोद कुमार शर्मा का कथन अभिलिखित किया गया और उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा दोनों में अभियोजन की बात का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि मृतक महिला को अतिरिक्त दहेज के लिए पीटा जाता था और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से इतना परेशान किया गया कि उसने अपनी जान दे दी। पीडब्ल्यू -3 परीक्षित भारद्वाज, पीडब्ल्यू-4 मृतक की माँ और पीडब्ल्यू -8 मृतक की भाभी के कथन अभिलिखित किए गए और उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दिया, जिसमें उन्होंने आरोपी जितेंद्र गोंड के साथ-साथ ससुर और सौतेली सास के विरुद्ध प्रथम दृष्टया सबूत दिए। उस आवेदन में यह भी बताया गया है कि उक्त सत्र विचारण में अभियोजन ने कुल आठ साक्ष्य प्रस्तुत किए और अब केवल अन्वेषण अधिकारी की साक्ष्य बाकी है।

7. पुनरीक्षणकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 31.10.2025 का आक्षेपित आदेश बिना न्यायिक सोच-विचार के पारित किया, इसलिए इसे अपास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण अधिकारी ने पाया कि मृतक महिला और जितेंद्र कुमार की शादी 29.1.2015 को हुई थी और 7 साल से अधिक का समय बीत चुका था और इसलिए, धारा 304-बी लागू नहीं होती थी। उक्त मामले का अन्वेषण पूर्ण हो गया था और पुनरीक्षणकर्ता दोषमुक्त कर दिए गए थे और 15.9.2023 को समापन रिपोर्ट दायर की गई थी। अभिलेख पर विद्मान सामग्री के बावजूद, दिनांक 31.10.2025 के आदेश द्वारा मनमाने ढंग से द0प्र0सं0 की धारा 319 के अन्तर्गत आवेदन को मंजूरी दी गई और पुनरीक्षण को भा0द0सं0 की धारा 306 के अन्तर्गत तलब किया गया। न तो दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलिखित की गई थी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



न ही जितेंद्र कुमार गौड़ के विरुद्ध उन धाराओं में आरोपपत्र दायर की गई थी और न ही उन पर दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत आरोप तय किए गए थे, ऐसी कार्रवाई, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में पहले सूचना देने वाले द्वारा बताई गई अभियोजन की कहानी को झूठा साबित करती है।

8. पुनरीक्षणकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि जिस आक्षेपित आदेश को चुनौती दी गई है, उसमें विद्वान न्यायमूर्ति ने स्वयं कहा है कि "यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि साक्षियों का ऐसा कथन सुनी-सुनाई साक्ष्य के दायरे में आता है, जिस पर सामान्यतः पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता...", जबकि पुनरीक्षणकर्ता को उसी साक्ष्य के आधार पर भा0द0सं0 की धारा 306 के अन्तर्गत समन भेजा गया है। उन्होंने आगे कहा कि अन्वेषण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा 161 के अन्तर्गत अभिलिखित कथनों से पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया और 15.9.2023 को समापन रिपोर्ट दायर की गई। उन्होंने आगे कहा कि पुनरीक्षणकर्ताओं को केवल सन्देह के आधार पर समन भेजा गया है।

9. पुनरीक्षणकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में इन निर्णयों का संदर्भ दिया अर्थात् पंजाब राज्य बनाम दविंदर पाल सिंह भुल्लर (2011) 14 एससीसी 770, कालभारती एडवरटाइजिंग बनाम हेमंत विमलनाथ नारचानिया (2010) 9 एससीसी 437, मंगल प्रसाद तमोली बनाम नरवदेश्वर मिश्रा (2005) 3 एससीसी 422, बद्रीनाथ बनाम तमिलनाडु सरकार (2000) 8 एससीसी 395 और सेठ गंगा धर बनाम शंकर लाल और अन्य, एआईआर 1958 एससी 770। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अमलेंदु पाल उपनाम झंडू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2001 एससीसी 707, संजू उपनाम संजय सिंह सेंगर बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2002(5) एससीसी 371, नेताई दत्ता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य; 2005 (2) एससीसी 659, केरल राज्य और अन्य बनाम एस. उन्नीकृष्णन नायर और अन्य; (2015) 9 एससीसी 639, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम इंद्रजीत कुंडू और अन्य (2019) 10 एससीसी 188, जियो वर्गीस बनाम राजस्थान राज्य और

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अन्य; 2021 एससीसी आन लाईन एससी 873 और शब्बीर हुसैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य; 2021 एससीसी आनलाईन एससी 743 पर भी विश्वास किया गया।

10. पुनरीक्षणकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने एस मोहम्मद इस्फ़हानी बनाम योगेंद्र चंडक और अन्य (2017) 16 एससीसी 226, हरजिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य; 2025 एससीसी आनलाईन एससी SC 1029, गीता देवी और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य; 2004: पीएचएचसी: 000708, वाई. सरबा रेड्डी बनाम पुथुर रामी रेड्डी और अन्य (2007) 4 एससीसी 773, लोक राम बनाम निहाल सिंह और अन्य (2006) 10 एससीसी 192, रामनारायण राम दरोगा और 2 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य और अन्य; 2025: एचसी-165520, शिव बरन बनाम उ०प्र० राज्य और अन्य एसएलएपी(क्रि०) संख्या 3993 सन् 2025, शंकर बनाम उ०प्र० राज्य और अन्य; 2024 एससीसी आनलाईन एससी 730, और श्रीमती रेखा और 3 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य और 2 अन्य; 2025: एचसी-एलकेओ: 918 इन मामलों का भी संदर्भ दिया गया।

11. दूसरी ओर, विपक्षी पक्षकार संख्या 2/परिवादकर्ता की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि विचारण न्यायालय ने भा०द०सं० की धारा 306 के अन्तर्गत पुनरीक्षणकर्ताओं को बुलाने का जो आदेश दिया है वह सही है। पुनरीक्षणकर्ताओं को साक्षियों के विचारण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्यों के आधार पर बुलाया गया है। इसलिए, इस पुनरीक्षण को निरस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पुनरीक्षणकर्ताओं के विरुद्ध 14.1.2026 को आरोप भी तय किए जा चुके हैं और इस तरह, आरोप तय करने के आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण नहीं हो सकती। इसलिए, इस आधार पर भी, वर्तमान पुनरीक्षण निरस्त किए जाने योग्य है।

12. विपक्षी पक्षकार संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की खण्डपीठ के निर्णय का संदर्भ दिया, जो शोएब महमूद किदवई उपनाम बॉबी बनाम उ०प्र० राज्य के मामले में दिया गया था। 23.2.2021 को तय किए गए आवेदन संख्या 3044 सन् 2017 धारा 482/378/407 के अन्तर्गत में यह तर्क दिया गया कि इस मामले में आरोप पहले ही तय किए जा चुके हैं, इसलिए पुनरीक्षण पोषणीय नहीं है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



13. द0प्र0सं0 की धारा 482 के अन्तर्गत दायर और खण्डपीठ को भेजे गए उस मामले में यह देखा गया कि द0प्र0सं0 की धारा 232 के कारण एक विधिक अड़चन है, जो आवेदक को उपाय देती है, और इसलिए धारा 482 के अन्तर्गत इस आवेदन पर विचार करने में दिक्कत है, प्रथम दृष्टया राय यह थी कि आरोप तय होने के बाद और किसी न्यायिक आदेश के रूप में कोई नई घटना हुए बिना द0प्र0सं0 की धारा 482 के अन्तर्गत विचारण की कार्यवाही में हस्तक्षेप शायद सही नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आरोपपत्र पर शुरू हुई पूरी कार्यवाही को निरस्त करने की मांग पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि विचारण न्यायालय पहले ही द0प्र0सं0 की धारा 228 के अन्तर्गत पारित न्यायिक आदेश से यह मान चुका है कि प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। इसके बाद विद्वान एकल न्यायधीश ने कहा कि उस आदेश के सही-गलत होने पर प्रश्न उठाए बिना कार्यवाही निरस्त करने का आवेदन को अस्वीकार कर देना न्यायालय के अभिलेख को गलत साबित करने जैसा होगा क्योंकि आरोप तय करने का आदेश बिना किसी चुनौती के कायम है।

14. इस पृष्ठभूमि में, मामला विद्वान न्यायपीठ के सामने रखा गया और न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि हम यह नहीं कह सकते कि बताए गए हालात में किसी भी स्थिति में द0प्र0सं0 की धारा 482 के अन्तर्गत आवेदन पोषणीय नहीं होगा ऐसा आवेदन पर विचार किया जाए या नहीं यह हर मामले के तथ्यों के आधार पर तय करने और उत्तर देने का प्रश्न है। इस बारे में कोई सामान्य नियम या सूत्र नहीं बनाया जा सकता। मुख्य सिद्धांत यह है कि क्या किसी मामले के तथ्यों में कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और/या क्या न्याय सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप ज़रूरी है या नहीं? इन दो सिद्धांतों के आधार पर जब द0प्र0सं0 की धारा 482 के अन्तर्गत शक्ति और क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाता है तो उच्च न्यायालय को हर मामले के तथ्यों का आकलन करना होता है।

15. वर्तमान मामला आपराधिक पुनरीक्षण का है। आपराधिक पुनरीक्षण का दायरा और क्षेत्राधिकार और धारा 482 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति, दोनों पूरी तरह से अलग-अलग हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



16. विद्वान विचारण न्यायालय ने मामले पर विस्तार से विचार किया और कहा कि द0प्र0सं0 की धारा 319 के प्रावधानों को लागू करना विद्वान न्यायाधीश का विवेकाधीन अधिकार है और इसलिए इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए बचाव पक्ष की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही, इस उद्देश्य से दायर आवेदन पर विचार करते समय उन लोगों का पक्ष सुनने की भी कोई आवश्यकता नहीं है जिन्हें आरोपी के तौर पर समन किया जाना है। शुरुआत में, आवेदन पर निर्णय करते समय आगे बढ़ने से पहले, द0प्र0सं0 की धारा 319 के प्रावधानों को यहाँ बताना लाभदायक होगा जो इस प्रकार हैं:-

"319. अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति
-(1) जहाँ, किसी अपराध की जाँच या विचारण के दौरान, साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति, जो आरोपी नहीं है, ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए उस व्यक्ति पर आरोपी के साथ संयुक्त रूप से विचारण किया जा सकता है, वहाँ न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए कार्यवाही कर सकता है जो उसने किया प्रतीत होता है....."

17. विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि ऊपर बताए गए प्रावधान से यह बिल्कुल स्पष्ट है, विशेषरूप से इस मामले में कि जब किसी अपराध के विचारण के दौरान साक्ष्यों से यह पता चलता है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है जिसे आरोपपत्र में आरोपी के तौर पर नहीं दिखाया गया था, तो न्यायालय उसे उस अपराध के विचारण का सामना करने के लिए समन जारी कर सकता है, इसका अर्थ है कि साक्ष्य के आधार पर न्यायालय को इस बात का काफ़ी विश्वास हो गया था कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने अपने आरोपपत्र में आरोपी नहीं दिखाया था उसने ही वह अपराध किया था अर्थात्, द0प्र0सं0 की धारा 319 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को आरोपी के तौर पर बुलाने के लिए आवश्यक स्तर या डिग्री, आरोप तय करने के चरण से कहीं ज़्यादा होती है; क्योंकि आरोप तय करने के चरण में न्यायालय को केवल प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करना होता है और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री के आधार पर आगे बढ़ना होता है। इस संबंध में, विचारण न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य; एआईआर 2014

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



एससी 1400, मामले में तय किए गए कुछ सिद्धांतों का उल्लेख करना उचित समझा, जो इस प्रकार हैं:-

"86. द0प्र0सं0 की धारा 319(1) न्यायालय को उन अन्य लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार देती है जो अपराध के दोषी लगते हैं, भले ही वे न्यायालय के सामने आरोपी न हों। "प्रतीत होना " शब्द का अर्थ है "समझ में स्पष्ट आना " या यह "साबित होने " के समान नहीं तो उसके काफी करीब का वाक्यांश है। यह सबूत की तुलना में संभावना की कम डिग्री को दर्शाता है।"

18. विद्वान विचारण न्यायालय ने **प्यारे लाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 1963 एससी 1094** के निर्णय पर विश्वास किया, जिसमें इस न्यायालय की चार- न्यायधीशों की न्यायपीठ ने 'प्रतीत होना ' शब्द के अर्थ पर विचार किया था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'प्रतीत होना ' शब्द का सही अर्थ 'लगना या प्रतीत होना' है। इसका अर्थ सबूत की तुलना में संभावना का कम स्तर है। **राम सिंह और अन्य बनाम राम निवास और अन्य, (2009) 14 एससीसी 25**, में इस न्यायालय की दो न्यायधीशों की न्यायपीठ को फिर से इस खण्ड में प्रयोग हुए 'प्रतीत होना ' शब्द के महत्व का परीक्षण करनी पड़ा। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस शर्त को पूरा करने के लिए कि न्यायालय को ऐसा लगे कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, न्यायालय को स्वयं को ऐसी असाधारण परिस्थिति के होने के बारे में संतुष्ट करना होगा जो उसे असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में सक्षम बनाए। इसलिए, न्यायालय के लिए यह संतुष्ट होना आवश्यक है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, अगर उन्हें काटा न जाए, तो उस व्यक्ति को दोषी ठहराने का आधार बन सकते हैं जिसे मामले में आरोपी के तौर पर शामिल करने की कोशिश की जा रही है।

19. विद्वान विचारण न्यायालय ने **सरबजीत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, एआईआर 2009 एससी 2792** पर विश्वास किया, जिसमें द0प्र0सं0 के धारा 319 के दायरे को समझाते हुए, इस न्यायालय की दो न्यायधीशों की न्यायपीठ ने यह कहा था:

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"....ऊपर बताए गए उद्देश्य के लिए, न्यायालयों को कठिन परीक्षण करने होंगे; इनमें से एक परीक्षण यह है कि क्या अभिलेख पर विद्वान साक्ष्य ऐसे हैं जिनसे उस व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है जिसे समन भेजा जाना है.....चूंकि आरोप तय करने के चरण में अपराध का संज्ञान लेने के लिए प्रथम दृष्टया मामला का परीक्षण काफी हो सकता है, लेकिन न्यायालय को यह पक्का करना होगा कि कोई मजबूत संदेह विद्वान है। संहिता की धारा 227 के अन्तर्गत आरोप तय करते समय, न्यायालय को अभिलेख पर विद्वान सभी सामग्रियों पर विचार करके यह राय बनानी होगी कि यदि साक्ष्य का खंडन नहीं किया जाता है, तो इससे दोषी ठहराने का निर्णय हो सकता है। प्रश्न यह है कि क्या संक्षिप्त की धारा 319 के अन्तर्गत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए कोई उच्च मानक तय किया जाना चाहिए। इन प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक में होना चाहिए। जब तक किसी व्यक्ति को अतिरिक्त आरोपी के तौर पर समन करने की राय बनाने के लिए कोई उच्च मानक तय नहीं किया जाता, तब तक इसके ज़रूरी तत्व अर्थात् (i) एक असाधारण मामला, और (ii) अधिकार क्षेत्र का बहुत कम प्रयोग करने वाला मामला, पूरे नहीं होंगे।" (ज़ोर दिया गया)।

20. विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में अभिलिखित किया कि पीडब्ल्यू 3 परीक्षित भारद्वाज, जो मृतक महिला के भाई हैं ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उनकी बहन मृतक की शादी 29.01.2015 को आरोपी जितेंद्र गोंड के साथ हुई थी और इस पीडब्ल्यू 3 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कहा है कि बहन की शादी के 4-5 महीने बाद, उसके पति, ससुर सुरेंद्र शर्मा और सास पुष्पलता शर्मा ने अतिरिक्त दहेज के तौर पर 10 लाख रुपये और एक कार की मांग शुरू कर दी थी। पीडब्ल्यू-3 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कहा है कि 23.10.2017 को उनकी मृतक बहन अपने पति जितेंद्र गोंड के साथ उनके घर आई थी और उस समय तक उसे उसके पति जितेंद्र गोंड, ससुर सुरेंद्र शर्मा और सास पुष्पलता शर्मा द्वारा परेशान किया जा रहा था और शारीरिक व मानसिक क्रूरता का शिकार बनाया जा रहा था, और तब उनके पिता विनोद कुमार शर्मा ने जितेंद्र गोंड को 5 लाख रुपये नकद दिए थे। पीडब्ल्यू-3 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी बताया कि 25/26.08.2022 को उनकी बहन, मृतक ने अपनी माँ को फ़ोन पर ससुराल

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



वालों द्वारा दी जा रही प्रताड़ना के बारे में बताया था और इसके बाद 27.08.2022 को सुबह 3:00 बजे उनकी बहन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली चूंकि इस बात की जानकारी उनकी बहन के ससुर सुरेंद्र शर्मा ने उनके पिता को दी थी।

21. आक्षेपित आदेश में यह भी अभिलिखित किया गया कि पीडब्ल्यू-4, मृतक की माँ ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि 26.8.2022 को सुबह 11:30 बजे उन्हें अपनी पुत्री का फ़ोन आया था, उस समय वह रो रही थी और कह रही थी कि अब वह जी नहीं सकती क्योंकि ये सभी लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। यहाँ यह ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अभियोजन के अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान अन्वेषण के दौरान संबंधित पुलिस द्वारा रखे गए सीडी पर्चा संख्या 10 की ओर दिलाया, जिसमें पीडब्ल्यू -4 और मृतक के मोबाइल फ़ोन के सीडीआर का अभिलेख अभिलिखित है। इसके आधार पर, ऐसा लगता है कि पीडब्ल्यू -4 के कथन को आसानी से अस्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी मृतक पुत्री ने 26.08.2022 को उनसे बात की थी। पीडब्ल्यू -4 से हुई प्रति-परीक्षा की विस्तृत बातों पर ध्यान दिए बिना ही, विचारण न्यायालय ने बिना किसी हिचकिचाहट के यह नोट किया है कि मृतक को उसके पति, ससुर और सास द्वारा परेशान किए जाने की बात का बचाव पक्ष ने खंडन नहीं किया है।

22. विचारण न्यायालय ने पीडब्ल्यू -8 अपर्णा भारद्वाज जो पीडब्ल्यू -3 प्रक्षित भारद्वाज की पत्नी हैं की साक्ष्यों का मूल्यांकन किया। इससे पता चलता है कि पीडब्ल्यू -8 मृतक महिला की भाभी थीं। पीडब्ल्यू -8 ने भी आरोपी जितेंद्र गोंड, उनके पिता सुरेंद्र कुमार शर्मा और मां पुष्पलता द्वारा 10 लाख रुपये और एक कार की अतिरिक्त दहेज की मांग के बारे में वही बातें दोहराई हैं। पीडब्ल्यू-8 ने अपनी मुख्य परीक्षा में आगे कहा है कि उनकी ननद (मृतक) उन्हें अपने ससुर, सास और पति द्वारा किए जा रहे दुर्यवहार के बारे में बताती थीं। यहाँ यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि साक्षी का ऐसा कथन सुनी-सुनाई बात की श्रेणी में आता है, जिस पर सामान्यतः पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जाता है लेकिन भा0द0सं0 की धारा 306 के अन्तर्गत मुख्य आरोप वाले मामलों में, ऐसे कथन को आसानी से निरस्त या अस्वीकार नहीं किया जा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सकता है। इसके अलावा, पीडब्ल्यू -8 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उनकी और परिवार के सभी सदस्यों की मौजूदगी में उनके ससुर ने आरोपी जितेंद्र गोंड को लगभग पांच लाख रुपये नकद दिए थे और उस समय उनके ससुर ने आरोपी जितेंद्र गोंड से अपनी पुत्री को और परेशान न करने का आग्रह किया था। पीडब्ल्यू -8 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कहा है कि 26.08.2022 को उनकी 'ननद' ने अपनी सास को फोन किया था और उस समय उन्होंने दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार के बारे में बताया था और उस समय उन्होंने पीडब्ल्यू -8 और उनकी सास ने मृतक महिला को समझाने और दो दिन प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, लेकिन 27.08.2022 को ही उन्हें सूचना मिली कि उनकी 'ननद' ने फांसी लगा ली है। विचारण न्यायालय ने पीडब्ल्यू -8 की प्रति-परीक्षा के विवरण को बारीकी से देखा और बिना उसका विस्तार से मूल्यांकन किए विचारण न्यायालय ने यह नोट करना उचित समझा है कि मृतक के पति, ससुर और सास द्वारा शारीरिक उत्पीड़न किए जाने के संबंध में पीडब्ल्यू -8 के कथन का बचाव पक्ष द्वारा खंडन नहीं किया जा सका।

23. मृतक की मृत्यु का कारण दम घुटना था जो मरने से पहले फांसी लगाने की वजह से हुआ। शवपरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उसकी मृत्यु फांसी लगाने से हुई थी। मृतक के शरीर पर फांसी के निशान पाए गए थे।

24. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2014) 3 एससीसी 92** मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि द0प्र0सं0 की धारा 319(1) में प्रयोग किया गया शब्द 'साक्ष्य' केवल विचारण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्य तक ही सीमित है। इसके अलावा, शीर्ष न्यायालय ने ओमी उपनाम ओंकार राठौर बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य; 2025 आईएनएससी 27 मामले में यह भी अभिनिर्धारित किया कि विचारण न्यायालय किसी व्यक्ति को आरोपी के तौर पर तभी शामिल कर सकती है जब उसके सामने प्रस्तुत किए गए साक्ष्य हों न कि आरोपपत्र या केस डायरी में विद्वमान सामग्री के आधार पर क्योंकि आरोपपत्र या केस डायरी में विद्वमान ऐसी सामग्री साक्ष्य नहीं मानी जाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



25. माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिव बरन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवम् अन्य मामले में यह अभिनिर्धारित किया और निर्णय 16 जुलाई, 2025 को आपराधिक अपील संख्या 3008 सन् 2025 (जो एसएलपी (आपराधिक) संख्या 3993 सन् 2025 से उत्पन्न हुआ है), जिसमें कहा गया कि विचारण न्यायालय द0प्र0सं0 की धारा 319 के अन्तर्गत किसी अतिरिक्त आरोपी को बुलाने की अपनी शक्ति का प्रयोग केवल अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर ही कर सकता है और न कि अन्वेषण के दौरान एकत्रित की गई किसी अन्य सामग्री के आधार पर। बृजेंद्र सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2017) 7 एससीसी 706 मामले में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि द0प्र0सं0 की धारा 319 में प्रयोग किए गए शब्द 'सबूत' का अर्थ है विचारण के दौरान न्यायालय के सामने लाई गई सामग्री लेकिन अन्वेषण अधिकारी द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्य का प्रयोग पुष्टि के लिए किया जा सकता है। जबकि, वर्तमान मामले में, पुनरीक्षणकर्ताओं जो मृतक के ससुर और सौतेली सास हैं के विरुद्ध केवल सामान्य और अस्पष्ट आरोप हैं। जबकि, अन्वेषण के दौरान, पुनरीक्षणकर्ताओं के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिला है। सम्पूर्ण अन्वेषण के दौरान पुनरीक्षणकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त दहेज की कोई विशेष मांग नहीं की गई। विचारण के दौरान अभिलिखित पीडब्ल्यू-1, मृतक के पिता के कथन में केवल अस्पष्ट आरोप लगाया गया कि पुनरीक्षणकर्ताओं भी अपने पुत्र की बात से सहमत थे, जबकि पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू-2, मृतक की माँ ने सामान्य कथन किया कि दोनों ने 10 लाख रुपये और एक कार के अतिरिक्त दहेज की मांग की थी।

26. उच्चतम न्यायालय ने छाया बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2018) 17 एससीसी 8 में यह अभिनिर्धारित किया है, जो इस प्रकार है:

"10. मृतक के माता-पिता के मौखिक साक्ष्य को देखने से पता चलता है कि अपील करने वाली महिला पर केवल मामूली आरोप लगाए गए हैं। उस पर अस्पष्ट और गोल-मोल आरोप लगाए गए हैं और दहेज की मांग या किसी भी तरह से परेशान करने का कोई खास आरोप नहीं है। अपील करने वाली महिला के विरुद्ध निश्चित साक्ष्य न होने के कारण, सेशंस न्यायालय और

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उच्च न्यायालय का उसे भा0द0सं0 की धारा 498-ए के अन्तर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराना सही नहीं है।"

27. उच्चतम न्यायालय ने गीता मेहरोत्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 10 एससीसी 741 में यह अभिनिर्धारित किया है:

"18. उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों ने रमेश मामले [(2005) 3 एससीसी 507 : 2005 एससीसी (क्रि0) 735] में यह अभिनिर्धारित किया था कि परिवादकर्ता द्वारा ननद पर लगाए गए बिना ठोस आधार वाले आरोप यह दिखाते हैं कि सूचनाकर्ता पति के ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारों को मामले में फंसाना चाहती थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट और न ही आरोपपत्र से मजिस्ट्रेट को अपील करने वालों पर लगाए गए अपराधों का संज्ञान लेने का कोई विधिक आधार मिला। विद्वान न्यायधीशों ने अभिनिर्धारित किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और आरोपपत्र की बातों को देखते हुए, परिवादकर्ता के पति की शादीशुदा बहन पर भा0द0सं0 की धारा 498-ए, 406 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत कोई भी अपराध नहीं बनता था क्योंकि वह बिना किसी विवाद के परिवादकर्ता के पति के परिवार के साथ नहीं रह रही थी। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय को ननद को विचारण की मुश्किल प्रक्रिया से नहीं गुजारना चाहिए था। इसलिए, अपीलकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही निरस्त कर दी गई और अपील स्वीकार कर ली गई।"

28. गीता मेहरोत्रा (उपर्युक्त) मामले के पैरा संख्या 25 में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है:-

"25. यद्यपि, हम सावधानी के तौर पर यह जोड़ना उचित समझते हैं कि हमें गलत न समझा जाए और यह नतीजा न निकाला जाए कि अगर किसी मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामज़द परिवार के सदस्यों की मिलीभगत दिखाने वाले साफ़ तौर पर किए गए कामों के आरोप हैं, तो भी मामले का संज्ञान लेना गलत होगा लेकिन हम जिस बात पर ज़ोर देना चाहते हैं, वह यह है कि अगर प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी और खासकर सह-आरोपी के विरुद्ध कोई खास आरोप नहीं हैं खासकर वैवाहिक झगड़ों से जुड़े मामलों में, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामज़द

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आरोपियों को बिना सोचे-समझे विचारण के लिए भेजना विधिक और न्यायिक प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग होगा। हाँ, अगर प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसे खास आरोप हों जो न्यायालय को मुख्य आरोपी के रिश्तेदारों के विरुद्ध कथित अपराध का संज्ञान लेने के लिए प्रेरित करें जिन पर प्रथम दृष्टि में सूचनाकर्ता-पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप नहीं है तो बात अलग है। यह कई मामलों में स्थापित किया गया सिद्धांत है कि अगर प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी अपराध के होने का पता नहीं चलता है, तो न्यायालय विधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्यवाही को निरस्त कर सकता है- साथ ही, न्यायालय से आशा की जाती है कि वे कार्यवाही निरस्त करने के मामलों में खासकर वैवाहिक विवादों में सावधानी बरतें। उन्हें यह देखना चाहिए कि क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुख्य आरोपी के रिश्तेदारों द्वारा अपराध किए जाने का पता चलता है या क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट से प्रथम दृष्टि में यह पता चलता है कि परिवारकर्ता ने बदला लेने के आशय से आरोपी के पूरे परिवार को फँसाया है जबकि कि नए वैवाहिक माहौल में ढलने के दौरान हुई शुरुआती दिक्कतों या घरेलू झगड़ों के कारण।"

29. **हरदीप सिंह (उपर्युक्त)** मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि द0प्र0सं0 की धारा 319 के अन्तर्गत आरोपी को समन करने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है, जिसका प्रयोग बहुत सोच-समझकर और कम ही किया जाना चाहिए। द0प्र0सं0 की धारा 319 के अन्तर्गत समन का आदेश देते समय, न्यायालय को यह देखना चाहिए कि क्या केवल प्रथम दृष्टया मामला बनता है, या उससे ज्यादा, केवल प्रथम दृष्टया मामला पर्याप्त नहीं है।

30. द0प्र0सं0 की धारा 319 के अन्तर्गत शक्ति एक विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग कम ही और केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए जहाँ मामले की परिस्थितियाँ ऐसा करने की माँग करती हों। इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश को लगता है कि कोई और व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी हो सकता है। इस शक्ति का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



किसी व्यक्ति के विरुद्ध विश्वसनीय और ठोस साक्ष्य मिलें, न कि लापरवाही या हल्के-फुल्के तरीके से।

31. इस मामले में, घटना वाले दिन ही 27.8.2022 को विपक्षी पक्षकार संख्या 2/परिवादकर्ता जो मृतका के पिता हैं ने भा0द0सं0 की धारा 498ए, 304बी, 323 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलिखित कराई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट पति जितेंद्र कुमार गोंड, ससुर सुरेंद्र कुमार शर्मा और सौतेली सास श्रीमती पुष्पलता शर्मा के विरुद्ध अभिलिखित की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में, सभी नामजद आरोपियों पर कार और 10 लाख रुपये की मांग करने के सामान्य आरोप लगाए गए हैं, जबकि उसी प्रथम सूचना रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि 27.8.2022 की रात 3:00 बजे, मृतका के ससुर सुरेंद्र कुमार शर्मा ने परिवादकर्ता को उनके मोबाइल पर फ़ोन करके बताया था कि प्राची (मृतका) ने फ़ांसी लगा ली है। इसलिए, जैसे ही उन्हें जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत सूचना दी और कोई भी तथ्य नहीं छिपाया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताया गया है कि मृतक के शव पर चोटें थीं, जबकि शवपरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु की गर्दन पर केवल फंदे का निशान था, जो किसी के लटकने पर स्वाभाविक रूप से बनता है। मृत्यु का कारण फंदे से लटकने के कारण दम घुटना था। विसरा को सुरक्षित रखकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था, इसलिए मृतक के शरीर पर कोई अन्य बाहरी मृत्युपूर्व चोट नहीं थी।

32. परिवादकर्ता का कथन द0प्र0सं0 की धारा 161 के अन्तर्गत अभिलिखित किया गया था, जिसमें उन्होंने सामान्य आरोप लगाए थे शादी से लेकर मृत्यु की तारीख तक क्रूरता या दहेज की मांग के बारे में कोई परिवाद नहीं की गई थी। शादी 29.1.2015 को हुई थी और शादी के सात साल बाद 27.8.2022 को मृत्यु हुई। इस शादी से दो बच्चे हुए थे। अन्वेषण के दौरान मृतक की अवयस्क पुत्री से पूछताछ की गई थी और उसने पुनरीक्षणकर्ताओं द्वारा क्रूरता करने या अतिरिक्त दहेज की मांग करने का कोई आरोप नहीं लगाया था। पूरी अन्वेषण के बाद, न तो दहेज के कारण मृत्यु का मामला पाया गया और न ही पुनरीक्षणकर्ताओं की कोई मिलीभगत पाई गई, इसलिए केवल पति जितेंद्र कुमार गोंड के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 323, 498ए, 306 के अन्तर्गत आरोपपत्र दायर की गई। पुनरीक्षणकर्ताओं के विरुद्ध कोई अपराध नहीं पाया गया,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



इसलिए अन्वेषण के बाद उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया और उनके विरुद्ध कोई आरोपपत्र दायर नहीं की गई।

33. यह बहुत आश्चर्यजनक है कि पूरी प्रथम सूचना रिपोर्ट में, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 के अन्तर्गत कोई अपराध नहीं बनता है। न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दहेज निषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभिलिखित की गई थी और न ही किसी आरोपी के विरुद्ध दहेज निषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोपपत्र दायर की गई थी। आरोप तय होने के बाद, पीडब्ल्यू-1 विनोद कुमार शर्मा का कथन 25.4.2024 को अभिलिखित किया गया और उनसे प्रति-परीक्षा अन्तिम रूप से 21.5.2024 को पूरी हुई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि शादी की पूरी अवधि के दौरान और मृत्यु तक, उन्होंने क्रूरता या दहेज की अतिरिक्त मांग के बारे में कभी कोई परिवाद नहीं की थी। पीडब्ल्यू-3, परीक्षित भारद्वाज ने 4.7.2024 को विद्वान विचारण न्यायालय के सामने अपनी परीक्षा अभिलिखित कराई थी। पीडब्ल्यू-4, श्रीमती उर्मिला, जो मृतक की माँ हैं, ने 23.8.2024 को अपना कथन अभिलिखित कराया और उनसे प्रति-परीक्षा 26.11.2024 को पूरी हुई। मृतक की भाभी, पीडब्ल्यू-8, अपर्णा भारद्वाज का कथन 28.2.2025 को अभिलिखित किया गया था और उनसे प्रति-परीक्षा 18.3.2025 को पूरी हुई थी। पूरी शादी के दौरान, पुनरीक्षणकर्ता की ओर से क्रूरता या दहेज की अतिरिक्त मांग का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया था।

34. तथ्यों और औपचारिक साक्ष्यों के प्रस्तुत होने के बाद, पीडब्ल्यू-1 का कथन 21.5.2025 को पूरा हुआ और उसके बाद, पीडब्ल्यू-8 तक के कथन अभिलिखित किए गए और सत्र विचारण लगभग समाप्त होने वाला था। इसके बाद, 4.4.2025 को द0प्र0सं0 की धारा 319 के अन्तर्गत एक आवेदन दायर की गई जिसमें पुनरीक्षणकर्ताओं पर आम और अस्पष्ट आरोप लगाए गए, जबकि उनके विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं था, न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में न ही मृतक की मृत्यु से पहले और न ही पूरी अन्वेषण के दौरान। उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया था और उनके विरुद्ध कोई आरोपपत्र दायर नहीं की गई थी। द0प्र0सं0 की धारा 319 के अन्तर्गत आवेदन में वही बातें दोहराई गई थीं और द0प्र0सं0 की धारा 319 के अन्तर्गत पुनरीक्षणकर्ताओं को बुलाने

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



की मांग की गई थी, जबकि, **हरदीप सिंह (उपर्युक्त)**, मामले में स्थापित विधि के अनुसार द0प्र0सं0 की धारा 319 के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं हो रही थीं।

35. मामले के इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों और विधि के प्रावधानों पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय इस राय पर है कि आगरा की न्यायालय संख्या 17 के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र विचारण संख्या 2243 सन् 2023 (स्टेट बनाम जितेंद्र गौड़) में दिनांक 31.10.2025 को पारित आक्षेपित आदेश को यथावत नहीं रखा जा सकता है और इसे अपास्त किया जाता है और परीणामस्वरूप, दिनांक 31.10.2025 के उस आदेश के आधार पर पुनरीक्षणकर्ताओं के विरुद्ध पारित सभी बाद के आदेश भी अपास्त किए जाते हैं।

36. उपरोक्त में दृष्टिगत, आपराधिक पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है। यद्यपि, विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह विधि के अनुसार अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध लंबित सत्र विचारण का शीघ्रता से निर्णय करे।

(अब्दुल शाहिद, न्यायमूर्ति)

04.02.2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"